भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या..

1	परियोजना/स्कीम का स्थान	
	(1) राज्य संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	महराजगंज
	(3) वन प्रभाग	सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज के अन्तर्गत कैम्पियरगंज शाखा नहर निर्माण (किमी0 51.000 से 62.106) हेतु प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि ग्राम लालपुर कल्यानपुर (0.2 हे0) तथा ग्राम कोल्हुआ उर्फ सिंघोरवा (0.2हे0) कुल क्षेत्रफल 0.4 हे0 आरक्षित वन भूमि (रिर्जव फारेस्ट) प्रभावित हो रही है।
	(5) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि (रिर्जव फारेस्ट) (राज्य सरकार की सम्पत्ति)
	(6) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 4 मी0 भी (संलग्न की जाये)	संलग्न है।
	(7) हरियाली का घनत्व	0.5
	(8) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा	प्रस्तवित वन भूमि के प्रभावित क्षेत्र वन्य जीव विहार की सीमा के अन्दर है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार ईको सेन्सटिव जोन (10 किमी0 परिधि) के अन्तर्गत आता है।
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है। यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें।	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ब्यौरा दें।	नहीं
	(12) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है, यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। (13) क्या क्षेत्र में सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, दें।	नहीं नहीं
	(14) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, दें।	नहीं

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग
महराजगंज

8	उपभोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए न्यूनतम और आवश्यक है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदतार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहर्य है तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हॉ/नहीं। यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही सहित ब्यौरा दें।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से मापी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	संलग्न है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	₹ 131341.00
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	जिला वन सरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्त कालम 7,8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12	विभाग/जिला.....	वन विभाग जनपद महराजगंज
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	295200
	(2) जिले का वन क्षेत्र	46100.00 ha
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की सं0 = 6 = 10.14 हे0
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	नहीं
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	1.20 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	राष्ट्रीय हित व जनहित में नहर निर्माण हेतु न्यूनतग आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु संस्तुति की जाति है।

दिनांकः–
स्थानः–

हस्ताक्षर –
नाम –
सरकारी मोहर –

उपजीवपाल वन संरक्षक
उपजीवपाल वन्य जीव प्रभाग
महराजगंज